



लोपित

26

न्यायालय:- माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2019 विविध दिनांक = 03/03/2019/सी.ए. / 2019

आनन्द राम बसोर पुत्र श्री सुदीप बसोर
निवासी ग्राम मेढौली तहसील व जिला
सिंगरौली म0प्र0

आवेदक

विरुद्ध

म0प्र0 शासन

अनावेदक

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

दिनांक 11-3-19

श्री S.P. Dhale Adv.
आज दि. 11-3-19
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 8-4-19 नियत।

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959
न्यायालय नायब तहसीलदार सिंगरौली जिला सिंगरौली के प्र.क.
78/अ-6/1992-93 में पारित आदेश दिनांक 16.09.1993 के
विरुद्ध जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि निगरानी प्रस्तुत।

11/3/19

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :-

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य:-

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति

इस प्रकार है कि, निवासी ग्राम कृषक चुरी देह तहसील व जिला
सिंगरौली के सम्बन्ध मे आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार सिंगरौली के
समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 115-116 के तहत प्रस्तुत
किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण क्रमांक
78/अ-6/1992-93 पर पंजीबद्ध किया किया गया। विधिवत
उद्योषणा जारी की गई आपत्तीयां आहुत की गई समयावधि मे कोई

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
दिनांक 11/3/19

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

30

प्रकरण क्रमांक - विविध-393/2019/सीधी/भू.रा.

आनन्द राम विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों अदि के हस्ताक्षर
13-06-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक अधिवक्ता श्री एस.पी.धाकड़ एवं अनावेदक शासन की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश शर्मा उपस्थित । उभय पक्ष के प्रकरण में प्रारम्भिक तर्क सुने गये । आवेदक का तर्क है कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-09 -1993 के आदेश का पालन निम्न न्यायालय द्वारा नहीं किया जा रहा है ।</p> <p>मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन लिया गया । आवेदक द्वारा यह आवेदन पत्र म.प्र.भू-राजस्व संहिता की धारा 32 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश का परीक्षण किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16-09-1993 को आदेश पारित किया गया है । लगभग 25 वर्ष पश्चात इस न्यायालय के समक्ष उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया है । आवेदक द्वारा अपने आवेदन में धारा 32 के अंतर्गत निगरानी आवेदन प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया है जिससे आवेदन स्पष्ट नहीं होने से त्रुटिपूर्ण है ।</p> <p>मेरे मतानुसार उक्त आवेदन उसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए जिसके आदेश का पालन होना है, जिससे प्रकरण का संक्षिप्त विधि अनुसार निराकरण हो सके । अतः धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन प्रथमदृष्टया सुनवाई योग्य नहीं होने से अग्रग्राह्य किया जाता है ।</p>	

(महेश/चंद्र चौधरी)
सदस्य